SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिलाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता : एक अध्ययन

जय सिंह यादव, (Ph. D.),
आकाशवाणी के सामने, ठाटीपुर गाँव, गाँधी रोड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
जय सिंह यादव, (Ph. D.),
आकाशवाणी के सामने, ठाटीपुर गाँव, गाँधी रोड,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/08/2021
Revised on : -----
Accepted on : 13/08/2021
Plagiarism : 06% on 07/08/2021

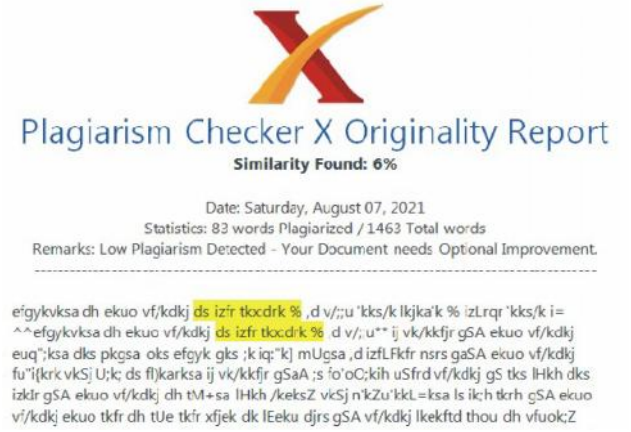
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 6%

Date: Saturday, August 07, 2021
Statistics: 83 words Plagiarized / 1463 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र ''महिलाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता : एक अध्ययन'' पर आधारित है। मानव अधिकार मनुष्यों को चाहें वो महिला हो या पुरूष, उन्हें एक प्रस्थिति देते हैं। मानव अधिकार निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये विश्वव्यापी नैतिक अधिकार है जो सभी को प्राप्त है। मानव अधिकार की जड़ें सभी धर्मो और दर्शनशास्त्रों से पायी जाती है। मानव अधिकार मानव जाति की जन्म जाति गरिमा का सम्मान करते है। अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है जिनके बिना मानव न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिये उपयोगी कार्य कर सकता है। वास्तव में अधिकारों के अभाव में मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

मुख्य शब्द

मानव अधिकार, जागरूकता.

वर्तमान समय में महिलाओं के लिये भारतीय संविधान में अनेक संवैधानिक प्रावधान किये गये है जो महिलाओं को अधिकार व सुरक्षा प्रदान करते है तथा महिलाओं के राजनैतिक स्तर को सुधारने का प्रयास करते है।

महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति उदासीनता एक सभ्य समाज का लक्षण कभी नहीं हो सकता है। अतः महिलाओं की दशा को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना करते समय महिलाओं के हित में अनेक उपबंध किये गये है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है।

सामान्य अर्थ में 'अधिकार' शब्द का आशय यह है कि मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो। अंग्रेजी कहावतों में केवल 'अधिकृत

करना' शब्द प्रयुक्त होता है।

अधिकारों को कई दृष्टियों से देखा गया है। मानव अधिकारों को कानूनी रूप में, सामाजिक एवं नैतिक रूप से परिभाषित किया गया है।

मानव अधिकार के विषय में **आर.जे. बिंसेट** का विचार है कि ''मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।''

डेविड सेलबाई कहते हैं कि ''मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त हैं, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय हैं, वे पैदा नहीं किये जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं।''

सभी परिभाषाओं से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मानव अधिकार, मानवीय स्वभाव में ही अन्तर्निहित है तथा इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए सदैव से रही है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये हैं जो सामाजिक, राजनैतिक, तथा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करते है। इनके उल्लघंन की दशा में संविधान के अनुच्छेद 226 एवं अनुच्छेद 32 में पर्याप्त उपचार की व्याख्या की गयी है।

महिलाओं के अधिकार के बारे में गाँधीजी ने विचार प्रकट किया है – महिलाओं के अधिकारों के प्रति में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी राय में उन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिये जो पुरूषों पर न लगाया गया हों। पुत्रों और कन्याओं में किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिये। उनके साथ पूरी तरह समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये।

भारतीय संविधान में मानव अधिकार की रक्षा के लिये अनेक कानून और धाराएँ उपलब्ध होने के बावजूद समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, परिवार, शासकीय नीतियाँ, राजनीति में और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की वास्तविक स्थिति क्या है, यह जानना आवश्यक है।

स्वतंत्रता से पूर्व व स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं के अधिकारों के लिये किये जाने वाले कार्य नगरो तक ही सीमित रह गये है। दूर–दराज गाँव की महिला की स्थिति आज भी लगभग मध्यकाल और ब्रिटिश भारत जैसी बनी हुई है। महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होने के कारण वे शासन की नीतियों का सही ढ़ंग से लाभ नहीं ले पा रही है। अशिक्षा के कारण महिलाएँ अपने मौलिक अधिकारों के ज्ञान से वंचित है। जैसा पुरूषों के द्वारा बताया जाता है कि वे वैसा ही मान लेती है। इस शोध के माध्यम से महिलाएँ जागरूक होकर अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगी, शासन द्वारा संचालित नीतियाँ व योजनाओं का लाभ ले सकेंगी तथा देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगी।

शोध उद्देश्य

- वर्तमान में महिलाओं की अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
- महिलाओं को शासन द्वारा संचालित नीतियों की जानकारी का अध्ययन करना।
- भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे परिवर्तनों के विषय में जानकारी का अध्ययन करना।
- महिलाओं में अशिक्षा होना, उन पर अत्याचार एवं उत्पीड़न संबंधी तथ्यों का आंकलन करना।
- महिलाओं को सुरक्षित वातावरण एवं समानता के अधिकार का अध्ययन करना।

शोध विधि

शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों को एकत्रित करने के लिए जिस क्रिया विधि को अपनाता है उसे शोध प्रणाली या शोध विधि कहते हैं। शोध अध्ययन की सर्वेक्षण, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक एवं ऐतिहासिक विधियाँ हैं परन्तु शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

शोध में संपूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं हो पाता है अतः संबन्धित जनसंख्या के कुछ अंश का चयन कर उसे शोध प्रक्रिया में समाहित किया गया है। इस शोध हेतु मध्यप्रदेश के ग्वालियर नगर की 30 महिला उत्तरदाताओं को शोध न्यादर्श हेतु चुना गया है।

प्रदत्त संकलन के उपकरण

उपकरण के रूप में शोधार्थी द्वारा स्व–निर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण विधि

आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्रतिशतांक विधि का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण

- वर्तमान में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए संबंधी प्रश्न के उत्तर में 28 (93.33%) महिला उत्तरदाताओं ने हाँ में जबाव दिया जबकि 02 (6.67%) महिला उत्तरदाताओं ने नहीं में जबाव दिया। स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की हामी भरती हैं।
- महिलाओं को शासन द्वारा संचालित नीतियों की जानकारी संबंधी प्रश्न के उत्तर में 18 (60.00%) महिला उत्तरदाताओं ने हाँ में जबाव दिया जबकि 12 (40.00%) महिला उत्तरदाताओं ने नहीं में जबाव दिया। अतः स्पष्ट होता है कि महिलाओं को अभी शासन की नीतियों की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। इस हेतु शासन को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी महिला शासन की नीतियों से वंचित नहीं रह पाये।
- भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे परिवर्तनों के विषय में जानकारी संबंधी प्रश्न के उत्तर में 27 (90.00%) महिला उत्तरदाताओं ने हाँ में जबाव दिया जबकि 03 (10.00%) महिला उत्तरदाताओं ने नहीं में जबाव दिया। सर्वाधिक महिलाओं का मानना है कि भारतीय समाज में उनके प्रति परिवर्तन हो रहे हैं और समाज उन्हें पुरुष से बराबरी का भी दर्जा दे रहा है।
- महिलाओं में अशिक्षा होना, उन पर अत्याचार एवं उत्पीड़न संबंधी प्रश्न के उत्तर में 19 (63.33%) महिला उत्तरदाताओं ने हाँ में जबाव दिया जबकि 11 (36.67%) महिला उत्तरदाताओं ने नहीं में जबाव दिया। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं मानती हैं कि अशिक्षा, अत्याचार व उत्पीड़ित होने की वजह से वे प्रगति नहीं कर पाई हैं।
- महिलाओं को सुरक्षित वातावरण एवं समानता के अधिकार संबंधी प्रश्न के उत्तर में 26 (86.67%) महिला उत्तरदाताओं ने हाँ में जबाव दिया जबकि 04 (13.33%) महिला उत्तरदाताओं ने नहीं में जबाव दिया। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं मानती हैं कि उन्हें अब सुरक्षित वातावरण मिल रहा है एवं समानता का अधिकार भी मिल रहा है।

निष्कर्ष

- अधिकांश महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हैं।
- महिलाओं को अभी शासन की नीतियों की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है।
- महिलाओं का मानना है कि भारतीय समाज में उनके प्रति परिवर्तन हो रहे हैं और समाज उन्हें पुरुष से बराबरी का भी दर्जा दे रहा है।
- महिलायें अशिक्षा, अत्याचार व उत्पीड़ित होने की वजह से प्रगति नहीं कर पाई हैं।
- महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है एवं समानता का अधिकार भी मिल रहा है।

सुझाव

- महिलाओं में जागरूकता के अभाव के कारण उन्हें अपने अधिकांश अधिकारों पर ज्ञान ही नहीं होता है और

वे विभिन्न नियमों के अस्तित्व में आने के बाद भी शोषण और उत्पीड़न से शिकार होती है और अंधकारमय जीवन जीती हैं।

- शासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि महिलायें सुरक्षित, शोषण मुक्त व समानतापूर्ण जीवन–यापन कर सकें।
- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
- महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान तथा उसके प्रति जागरूक होना चाहिए तभी वे अपने पक्ष में निर्मित विभिन्न नियमों व अधिकारों का उपयोग गरिमामयी और समानतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हैं।
- महिलाओं को स्वयं अपने लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
- पुरुषों को भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखकर उन्हें स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. आहूजा, राम, (2005) *भारतीय सामाजिक व्यवस्था,* रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. बेदी, किरण, (2008) *महिला सशक्तिकरण कुछ विचार,* योजना भवन प्रकाशन, नई दिल्ली, योजना।
3. गुप्ता, वी.एस. (2001) कोडेड बाय शर्मा, ए. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. हाटे, सी. ए. (1946), द पोजीशन ऑफ हिंदू वूमेन, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी मुंबई।
5. परमार, शुभ्रा, (2015) *नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार,* ओरियंट ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. पाण्डेय, जीतेंद्र, (2006) कुमार, *महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका,* कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

****